अनुस्मारक नोटिस

सं0– /xxxii-2-2017-3(31)/2015

प्रेषक,

सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

डा0 श्री रमेश पोखरियाल निशंक,
मा0 पूर्व मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 दिनांक : | , फरवरी, 2017।

विषय :– आवंटित शासकीय आवास के अतिरिक्त आगणित किराये के भुगतान के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य सम्पत्ति अनु–02 के पूर्व प्रेषित नोटिस सं0–1330/xxxii-2-2016-3(31)/2015, दि0 17, अक्टूबर, 2016 एवं सं0–1475/xxxii-2-2016-3(31)/2015, दि0 29, नवम्बर, 2016 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपको आवंटित शासकीय आवास को दि0 16, दिसम्बर, 2016 तक रिक्त करने तथा आवास के अध्यारोपित किराये की आगणित राशि रू0 67,443.00 का भुगतान किये जाने का अनुरोध किया था।

2– उक्तानुसार किये गये अनुरोध के क्रम में **आपके द्वारा दि0 13, दिसम्बर, 2016 को आवंटित आवास को रिक्त कर दिया गया है, किन्तु आतिथि तक आवास के अध्यारोपित किराये का भुगतान नही किया गया है।** उल्लेख करना है आपके आवास का पूर्व आगणित किराया दि0 31, अक्टूबर, 2016 तक की अवधि का था, किन्तु आपके द्वारा उक्त तिथि के उपरांत कुल 42 दिनों तक उक्त आवास में और अध्यासन किया गया। तदक्रम में उक्त आवास में नियमावली के अनुसार रू0 **1,386.00** (42 दिन × रू0 33.00/दिन) का अतिरिक्त किराया भी अध्यारोपित होता है। तद्नुसार आप पर पूर्व आगणित रू0 67,443.00 सहित वर्तमान में आगणित अतिरिक्त रू0 1,386.00 के कुल योगानुसार **रू0 68,829.00** की राशि भारित होती है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उपरोक्तानुसार आगणित किराये की कुल राशि **रू0 68,829.00** का भुगतान मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को करने का कष्ट करे।

भवदीय,

(सी0 एस0 नपलच्याल)
सचिव।

संख्याः 175 /xxxii-2-2017-3(31)/2015 ,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन /मुख्य स्थायी अधिवक्ता, उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव, विधानसभा सचिवालय,/सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड ।
3– निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखण्ड/निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन/राज्य सम्पत्ति अनु–01 एवं 03/गोपन(मंत्रिपरिषद्) विभाग/सचिवालय प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन/एन0आई0सी0, देहरादून/गार्ड फाइल ।
4– मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अध्यारोपित किराये की राशि को प्राप्त करते हुए, नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अपर सचिव/राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

Kamal/letters